जारी की गई
14/3/2024

संख्या-412/1793734/2024

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

जारी
14/3

सेवा में,

S-4

अध्यक्ष,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
लखनऊ

ऊर्जा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक-14 मार्च, 2024

विषयः उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (ई0वी0) के चार्जिंग के लिए बुनियादी संरचना एवं सेवाऐं प्रदान करने के लिए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा एक नई कम्पनी का गठन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के पत्र सं0-44/पीएसएमडी/2024, दिनांक-17.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (ई0वी0) के चार्जिंग के लिए बुनियादी संरचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा एक कम्पनी का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में कम्पनी की संरचना एवं उद्देश्य निम्नवत् होंगे:

कम्पनी की संरचना

i. कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत एक नई कम्पनी का गठन सरकारी कम्पनी के रूप में होगा।

ii. यह कम्पनी उ०प्र०पा०का०लि० की पूर्ण स्वामित्व (100 प्रतिशत) सहायक (Subsidiary) कम्पनी होगी।

iii. उपरोक्त कम्पनी का नाम "UP Renewable & EV Infrastructure Ltd" (UPREV) होगा।

iv. उक्त कम्पनी का मुख्यालय उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ में होगा।

v. उपरोक्त कम्पनी की प्रारम्भिक अधिकृत पूँजी रू0 10.00 करोड़ होगी जिसे आवश्यकतानुसार समय-समय पर बढ़ाया जा सकेगा।

vi. कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रथम निदेशको के साथ निदेशक मण्डल का गठन निम्नवत् होगा:

क- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के अध्यक्ष उक्त कम्पनी के पदेन अध्यक्ष होंगे।

ख- उक्त कम्पनी के पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की जायेगी। (जो कि सचिव/विशेष सचिव स्तर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होंगे। इस हेतु वाह्य विषय विशेषज्ञ को भी शासन द्वारा उचित प्रक्रियानुसार तैनात किया जा सकेगा)।

ग- उक्त कंपनी के अन्य निदेशक निम्नवत होंगे:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
2. प्रवन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड़
3. निदेशक, यूपीनेडा
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (राजस्व) के स्तर से विशेष सचिव से अनिम्न स्तर में नामित अधिकारी
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (उद्योग) के स्तर से विशेष सचिव से अनिम्न स्तर में नामित अधिकारी
6. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव (वित्त) के स्तर से विशेष सचिव से अनिम्न स्तर में नामित अधिकारी
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (ऊर्जा) के स्तर से विशेष सचिव से अनिम्न स्तर में नामित अधिकारी
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (परिवहन) के स्तर से विशेष सचिव से अनिम्न स्तर में नामित अधिकारी
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (आवास एवं शहरी नियोजन) के स्तर से विशेष सचिव से अनिम्न स्तर में नामित अधिकारी
10. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (नगर विकास विभाग) के स्तर से विशेष सचिव से अनिम्न स्तर में नामित अधिकारी

11. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (सार्वजनिक उद्यम विभाग) के स्तर से विशेष सचिव से अनिम्न स्तर में नामित अधिकारी

12 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0

13. निदेशक (वित्त), जिसकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की जायेगी।

14. निदेशक (वाणिज्य), जिसकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की जायेगी।

15. निदेशक (तकनीकी), जिसकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की जायेगी।

<u>कम्पनी के मुख्य उद्देश्य</u>

i. ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना और ईवी चार्जिंग सेवाएं प्रदान करना।

ii. उ०प्र० की वितरण, पारेषण, उत्पादन कम्पनियों के पास उपलब्ध भूमि बैंक, राज्य राजमार्गों, राष्ट्रीय हाईवे, शहर एवं अन्य उपयुक्त स्थानों (सरकारी अथवा गैर सरकारी) पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल (ईवी) चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और रख-रखाव करना।

iii. सभी प्रकार के ईवी वाहनों के संचालन का कार्य।

iv. सरकारी एवं अन्य भवनों पर रूफ-टाप सोलर लगाने एवं अन्य रिन्यूवेबल ऊर्जा समाधानों को प्रदान करने का कार्य।

v. ईवी चार्जिंग इंफ्रा/रिन्युवेबिल ऊर्जा से सम्बन्धित पीपीपी मोड पर कार्य।

vi. EV Charging infrastructure के grid पर होने वाले प्रभाव के प्रबन्धन हेतु पारेषण/उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० (UPPTCL) के साथ समन्वय करना एवं कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही करने का कार्य (यथा बैटरी अथवा अन्य स्टोरेज आदि)।

vii. अन्य समस्त सम्बन्धित/सहायक कार्य।

3- कम्पनी उ0प्र0 डिस्कॉम के बल्क उपभोक्ता के रूप में कार्य करेगी, जिसमें बिजली आपूर्ति शुल्क मा० उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदन के अधीन कम्पनी और उ०प्र० डिस्कॉम के बीच आपसी समझौते के अनुसार तय किया जाएगा। (वर्तमान में अन्य उपभोक्ता के इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) चार्जिंग स्टेशन एल०एम०वी०-11 के अन्तर्गत आते हैं)।

4- टाइम ऑफ डे टैरिफ (टी०ओ०डी०) मा० उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार लागू होगा।

5- वार्षिक लागत अनुमान के आधार पर और इक्विटी पर वांछित रिटर्न पर विचार करते हुए, कम्पनी विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) चार्जिंग के लिए लागू वाणिज्यिक शुल्क निर्धारित करेगी, जिस हेतु आवश्यक नियामक अनुमोदन प्राप्त किये जायेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव

प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ को उक्त पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

14/3/2024
14/3/2024

आज्ञा से,

(संजय शुक्ला)
संयुक्त सचिव